भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2940
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- पीएमएफबीवाई के अंतर्गत पैरामीट्रिक रूप के बीमा को बढ़ावा देना

†2940. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दायरे में लाए गए विशिष्ट नए जोखिमों, जिसमें फसल की हानि भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मौजूदा बीमा तंत्र को पैरामीट्रिक बीमा योजना के रूप में उन्नत करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जलवायु जोखिमों के कारण फसलों को होने वाले प्रतिकूल नुकसान के लिए किसानों के लिए पैरामीट्रिक रूप के बीमा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) विगत दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने दावे किए गए हैं और किसानों को किए गए दावों के निपटान के लिए कितना समय लिया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं से फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उनकी आय को स्थिर करने आदि हेतु खरीफ 2016 से उपज आधारित **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** और मौसम सूचकांक आधारित **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** का शुभारंभ किया है।

PMFBY संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, हीट-वेव, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली गिरने, आंधी, चक्रवात, बवंडर आदि जैसी गैर-निवारणीय तूफान, टेम्पेस्ट प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल जलवायु संकटों के कारण व्यापक उपज नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग) के कारण खेत स्तर पर उपज नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि तथा स्थगित बुआई के कारण कटाई के बाद होने वाली हानि से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दिए गए विशेष प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जंगली जानवरों के आक्रमण से फसल नुकसान को भी अधिसूचित किया जा सकता है।

(ख): वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए टर्म शीट के माध्यम से RWBCIS के तहत पैरामीट्रिक बीमा प्रदान किया जाता है। RWBCIS सामान्यतः बागवानी फसलों पर लागू होता है और किसानों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं, जैसे, फसल उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कम या अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान, आर्द्रता आदि से सुरक्षा प्रदान करता है इसका लाभ यह है कि दावों का निपटान कम से कम समय में हो जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को RWBCIS के तहत फसलों को अधिसूचित करना होता है।

(ग): ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना अधिक स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्रों (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु **WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली)** पहल शुरू की गई है। यह डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतरप्रचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में फीड किया जाएगा। विंड्स प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद प्रदान करने हेतु डेटा उपलब्ध कराता है। अब तक 10 राज्यों ने WINDS के कार्यान्वयन की शुरुआत की है और वर्तमान में 12,000 स्टेशनों से मौसम डेटा प्राप्त किया जा रहा है।

(घ): योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर, अर्थात् संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर, बीमा कंपनियों द्वारा अधिकांश दावों का निपटान किया जाता है। तथापि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में अतीत में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो मुख्य रूप से (क) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के हिस्से के भुगतान में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न होना/देरी से भुगतान होना या कम भुगतान होना (ग) उपज डेटा में विसंगति और परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण हैं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है। विगत दो वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023-24 और 2024-25 (31.12.2025 तक) के दौरान PMFBY के तहत भुगतान किए गए दावों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

PMFBY/RWBCIS के तहत भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण (दिनांक 31.12.2025 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपये में)	
	2023-24	**2024-25**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.03
आंध्र प्रदेश	120.3	19.9
असम	62.8	90.5
छत्तीसगढ	588.4	270.0
गोवा	0.0001	0.01
हरियाणा	284.0	339.3
हिमाचल प्रदेश	140.4	5.7
जम्मू एवं कश्मीर	34.8	26.4
झारखंड	-	-
कर्नाटक	3,367.3	2,809.1
केरल	166.2	-
मध्य प्रदेश	965.3	1,293.6
महाराष्ट्र	9,586.4	5,774.8
मणिपुर	2.0	1.7
मेघालय	14.5	9.5
ओडिशा	233.5	152.6
पुदुचेरी	1.9	4.3
राजस्थान	3,663.8	1,899.1
सिक्किम	-	0.01
तमिलनाडु	761.6	765.3
त्रिपुरा	1.9	0.5
उत्तर प्रदेश	469.9	427.0
उत्तराखंड	347.5	307.1
सकल योग	**20,812.5**	**14,196.5**

****